दिनांक 28.01..2020

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम सा. वनमंडल मंडला म.प्र.

विषय :– ऑप्टिकल फाइबल केबिल बिछाने हेतु दी गई सैद्धांतिक अनुमति हेतु पालन प्रतिपेवदन वावत्।

संदर्भ :– आपके द्वारा दी गई सैद्धांतिक अनुमति क्र./मा.चि./20/237 दिनांक 25.01..2020

महोदय,

संदर्भित पत्र के अनुसार नैनपुर से लामता रोड के किनारे कक्ष क्र. RF-94A, लम्बाई 340 मी. कक्ष कं 0–23 लम्बाई 590 मी. कक्ष क्र. RF-93B लम्बाई 160 मी., कक्ष क्र. RF-92 लम्बाई 2190 मी., कक्ष क्र. RF-89 लम्बाई 1800 मी., कक्ष क्र. RF-90 लम्बाई 858 मी.,कुल क्षेत्रफल 0.296 हे0 ओ. एफ.सी. में लाइन बिछाने की सैद्धांतिक स्वीकृति आपके पत्र क्र/मा.चि./20/237 दिनांक 25. 01..2020 प्रदान की गयी थी। प्रदान की गयी अनुमति में दी गयी सभी शर्तों का पालन करने हेतु आवेदक संस्था (रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड भोपाल) वचनबद्ध है। पत्र में दी गई शर्ते निम्नानुसार मंजूर है।

क्र.	शर्ते	सहमति
1	केबल लाईन डालने हेतु खुदाई/खन्ती/मार्ग किनारे किनारे मार्ग सीमा कें अंदर आने वाले क्षेत्र (राईट ऑफ वे) मे ही किया जावेगा।	सहमति
2	प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू.–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र कं. /एफ–11/2015/2637 दिनांक 28/10/2015 के अनुसार केबल लाईन विछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती की गहराई 2.00 मी. से अधिक नही होगी।	सहमति
3	वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मार्ग जिसमे केबल लाइन खोदा जाना है। वन भूमि हस्तांतरति नही कि जावेगी।	सहमति
4	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही किया जावेगा।	सहमति
5	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्या किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।	सहमति
6	खंती खोदते समय वृक्षो को हानि नही पहुचाई जाएगी तथा खंती में आने वाली जडो को नही काटा जायेगा।	सहमति
7	समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक सस्थान के द्वारा उनके व्यय पर खोदी गई खंती निकाली गयी मिटटी से ही किया जावेगा।	सहमति
8	समतीलकरण कार्य हेतु यदि मिटटी/मुर्रम/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र से उत्खनन नही किया जावेगा।	सहमति
9	आवदेक संस्था रोड सीमा के अंतर्गत की केबल बिछाने के लिए खुदाई का कार्य करेगें।	सहमति

Reliance Jio Infocomm Limited, CIN: U72900MH2007PLC234712

Registered Office: 9th Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Tel: 022-22785000

10	यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन भूमि/वन को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है अथा समतलीकरण का कार्य अधूरा/अपूर्ण रखा जाता है, तो निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।	सहमति
11	आवेदक/आवेदक संस्थान को उक्त अनुमति में नैनपुर से लामता तक मार्ग के किनारे–किनारे केवल बन भूमि के लिये है। राजस्व विभाग के वन क्षेत्र (छोटे–बड़ें झाड का जंगल) के लिये नही है।	सहमति
12	यदि भविष्य मे शासन अथवा इस कार्यालय द्वारा अन्य कोई शर्तो को अधिरोपित किया जाता है। तो वह आवेदक/आवेदक संस्थान को मान्य होगी।	सहमति
13	कार्य के दौरान किसी भी वन अधिकारी को सूचित कर निरीक्षण किया जा सकेगा व दिये गये निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।	सहमति
14	कार्योपरांत संबंधित परिक्षेत्र को सूचित कर निरीक्षण कराया जावेगा तथा कार्य सम्पादित प्रतिवेदन मय संभावित स्थलों के छायाचित्र सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।	सहमति

Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
एम.पी.नगर भोपाल
म.प्र.